कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–728 /14–1 (कैम्प चन्दौसी)   दिनांक 14/10/ 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषयः– जनपद सम्भल में मेरठ–बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग–18) किमी0 142.600 से 162.000 तक के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– 1–वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/52/2017/एफ0सी0/74 दिनांक 14.08.2017।
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–473/बदायूं/23576/2017, लखनऊ, दिनांक 18.08.2017।
3–आपका पत्रांक–आर 1132/14–1, दिनांक 21.08.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण जनपद सम्भल में मेरठ–बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग–18) किमी0 142.600 से 162.000 तक के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु क्षेत्रफल 23.28 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2230 वृक्षों व 44 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/52/2017/एफ0सी0/74 दिनांक 14.08.2017। के द्वारा आपत्तियां लगायी गयी थी, उनका निराकरण याचक विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के द्वारा कर दिया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

Observation No.	Observation of GOI	Reply/Modification (संशोधन/निराकरण)
1.	The signature of person authorised to make application on behalf of User Agency has not been authenticated in document uploaded at part-I A-3(xvii)	पार्ट–1 में पार्ट–1 ए–3(xvii) में श्री कर्मवीर सिंह, सहायक अभियन्ता को आवेदन हेतु नामित किया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। फार्म–ए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	Geo referenced map uploaded at C-b (iv) in part-I of the proposal is without geo coordinates of key points.	जीयो कॉर्डिनेट मैप में अंकित 1 से 43 तक के कॉर्डिनेट को पुनः अपलोड कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव में पृष्ठ सं0–28 में अंकित है।
3.	Certificate under FRA 2006 issued from DM Sambhal is without dispatch number, date and language does not include right issues of pre agricultural communities. The certificate needs revision.	जिलाधिकारी, सम्भल द्वारा जारी एफ0आर0ए0–2006 का प्रमाण पत्र पुनः पृष्ठांकन व दिनांक के साथ अपलोड कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–60 पर अंकित है।
4.	Linear strip plan needs revision due to the fect that it does not show width of protected forest proposed for diversion on both side along with balanced remaining width chainage wise.	लीनीयर स्ट्रीप प्लान में चैनेज 142.600 से 162.000 तक मार्ग के दोनो ओर 6.00–6.00मीटर संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है, जोकि पृष्ठ सं0–32 पर अंकित है। अवशेष वन भूमि प्रायः सभी जगह शून्य क्षेत्रफल रहेगा।
5.	Details of proposed forest land for diversion chainage wise along with remaining width of PF has not been submitted with the proposal .	उपरोक्तानुसार।

6.	Gazette notification of forest land in hard copy is not legible.	गजट नोटिफिकेशन की साफ प्रति पृष्ठ सं0–58 व 59 पर संलग्न की गयी है।
7.	Crown Density of the forest crop is under estimation as around 100 trees per ha. is getting affected. The same needs revision.	पार्ट–2 में क्राउन डेनसिटी 0.2 के स्थान पर 0.3 कर दी गयी है। जो पृष्ठ सं0–21 पर अंकित है।
8.	Proposed compensatory afforestation patch is located in flood plains of river and google overlay shows numerous agricultural patches; Suitability of such patch for CA shall be reconsidered.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर ने अपने कार्यालय के पत्रांक–1171/14–1, बिजनौर, दिनांक 11.10.2017 से चांदपुर रेंज के दतियाना वन ब्लाक में 47.00है0 भूमि का चयन करते हुये, चयनित भूमि के डिजीटल डाटा मानचित्र, टोपोशीट, भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित पृष्ठ सं0–44 से 47 पर संलग्न है। इसे अपलोड भी कर दिया गया है। उक्त भूमि बिजनौर वन प्रभाग द्वारा अतिक्रमण कार्यों से अवमुक्त कराई गई है, जिस हेतु गूगल मेंप पर कृषि भूमि जैसा प्रतीत हो रहा है। उक्त समस्त भूमि बिजनौर प्रभाग के अधीन है।
9.	Joint Inspection report has been uploaded in place of Site inspection report of DFO in part-II.	डी0एफ0ओ0 की संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ–साथ स्थल निरीक्षण आख्या भी पार्ट–।। में अपलोड कर दी गयी है।
10.	Incorrect part-III and V has been uploaded with the proposal.	इस बिन्दु में सूचना प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार निराकरण कर, प्रस्ताव ऑन लाईन व हार्ड कापी में 04 प्रति में आपके कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या–720 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ0प्र0 बरेली।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल।

(एम0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।